वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 136 /2025 *दिनांक- 13.04.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 13.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना अहरौला: चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 07.04.2025 को आवेदक अमित राजभर पुत्र रामसूरत राजभर निवासी ग्राम मक्खापुर पो0 माहुल थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 24/25.2.2025 की रात्रि में ग्राम सभा रसूलपुर में मेरे ट्यूबल में लगा 02 मोटर अज्ञात चोरो द्वारा खोल कर चुरा लिया गया काफी तलाश किया परन्तु अब तक कुछ पता नही चल पाया है। आवेदक की तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर **मु0अ0सं0 141/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0** बनाम 1. अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह के सुपुर्द हुयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 13.04.2025 को **उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त 1.श्रीकान्त पुत्र श्री प्रसाद निवासी रसूलपुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष, 2. आदर्श पुत्र रामधनी निवासी रसूलपुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष** को चोरी गये 02 ट्यूबेल मोटर के साथ गौसपुर मोड़ के बगल में बने हुए मदरसा मदरसतुल इस्लाम के पास से **समय करीब 12.30 बजे** नियमानुसार अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 141/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण/बाल अपचारी का नाम व पता

1. श्रीकान्त पुत्र श्रीप्रसाद निवासी रसूलपुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।
2. आदर्श पुत्र रामधनी निवासी रसूलपुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।
3. बाल आपचारी थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर हाल पता ग्राम रसूलपुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 16 वर्ष।

02.थाना- फूलपुर: किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 08.04.2025 को वादिनी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रा0पत्र में दिनांक 07.04.2025 को समय करीब 06.00 बजे सुबह आवेदिका की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को विवेक पुत्र बिरजू ग्राम इटकोहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना जिसके आधार पर **थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 185/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस** दि0घ0 07.04.2025 बनाम विवेक पुत्र बिरजू ग्राम इटकोहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 अभिषेक मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 12.04.2025 को **उ0नि0 अभिषेक मिश्रा** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभि0 विवेक पुत्र बिरजू ग्राम इटकोहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़** तथा पीडिता को खुरासन मोड़ तिराहा से समय करीब 18.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

03.थाना बिलरियागंजः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना -

दिनांक 11.03.25 को आवेदिका द्वारा थाना बिलरियागंज पर आकर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी बीरू राजकुमार उर्फ कामसेन पुत्र स्व दलसिंगार द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीप पर मु0अ0स0 75/25 धारा 87/137(2)/64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। विवेचना के क्रम में पीडिता को 16.03.25 को बरामद कर लिया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 13.04.2025 को **उ0नि0 अवधेश उपाध्याय** द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त बीरु राजकुमार उर्फ कामसेन पुत्र स्व दलसिंगार** को **समय करीब 11.55 बजे बघैला गराउण्ड के पास से** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

04.थाना- बरदहः चोरी गये आभूषण व नकदी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 27.03.25 को वादी मुकदमा सन्तोष तिवारी s/o स्व0 पारस तिवारी ग्राम पसिका थाना बरदह जिला आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 27.03.2025 को रात करीब 3.00 बजे के आस पास अज्ञात चोरो के द्वारा वादी मुकदमा के घर से झुमका सोने का एक सोने की चेन एव तीन अगूठी सोने की एवं नगद 20,000 रुपये चोरी कर लिया गया है। मेरे पडोसी शिवकुमार शर्मा s/o गुलाब चन्द शर्मा के घर के जंगला तोड़कर अन्दर सुटकेश मे रखे एक सोने की अंगूठी , सोने का मंगलसूत्र , सोने की चेन , एवं नगद 10,000 रुपये सूटकेश सहित उठा ले गये । तथा अन्य पड़ोसी अनिल शर्मा s/o गुलाब चन्द शर्मा के घर पर कमरे का ताला तोड़कर बक्से मे रखे एक सोने चैन , एक सोने की अंगूठी एवं नगद 5000 रुपये की चोरी हुई है कि उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 84/25 धारा 305/331(4) BNS** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 13.04.25 को **उ0नि0 कुलदीप कुमार** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये **अभियुक्त जयहिन्द यादव उर्फ सचिन यादव पुत्र विनोद यादव ग्राम पिताम्बर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़** को एक अदद अंगूठी पीली धातु, एक अदद झुमका पीली धातु, पीली धातु की अंगूठी तथा एक अदद चेन पीली धातु, एक अदद चेन पीली धातु की, एक अदद अंगूठी पीली धातु तथा 5700 रुपया बरामद हुआ। अभियुक्त के पास उक्त रुपयो व गहनो की बरामदगी के मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण 1. जयहिन्द यादव उर्फ सचिन यादव पुत्र विनोद यादव ग्राम पिताम्बर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. अनुराग यादव पुत्र प्रकाश यादव ग्राम पीताम्बर थाना गम्भीपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आय़ा। अभियुक्त जयहिन्द उपरोक्त को समय करीब 5.10 बजे ग्राम शंकरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-जयहिन्द यादव उर्फ सचिन यादव पुत्र विनोद यादव ग्राम पिताम्बर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1. अंगुठी पीली धातु की – 03 अदद,
2. झुमका पीली धातु की- 01 अदद
3. चैन पीली धातु की- 02 अदद
4. चोरी के रुपयो का शेष – 5800/- रुपया

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 90/24 धारा 323/380/457/406/511 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 69/22 धारा 379/411 भादवि थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 407/24 धारा 342/345 बीएनएस 8/20 NDPS Act थाना मुहम्मदाबाद, मऊ
4. मु0अ0सं0 84/2025 धारा 331(4), 305,317(2) बी.एन.एस थाना बरदह, आजमगढ़

05.थाना –मेंहनाजपुर: दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 12.04.2025 को आवेदक साहब दूबे पुत्र स्व0 बाबूराम दूबे ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना जहानागंज तहसील सदर जनपद आजमगढ ने तहरीर दिया की प्रार्थी अपनी पुत्री की शादी रावेश पाठक पुत्र श्री दयाशंकर पाठक निवासी ग्राम देवनाथपुर पोष्ट कुबाखाश थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ दिनाँक 23.04.2024 को समस्त स्त्रीधन व अपने दामाद रावेश पाठक को काफी उपहार देकर किया था। कुछ दिनो बाद पुत्री के पति रावेश पाठक, ससुर दयाशंकर व सास जयदेवी पाठक जेठ पंकज पाठक, जेठानी साँची पाठक और देवर अंश पाठक आदि ने दहेज मे पल्सर गाडी तथा 500000.00(पाँच लाख रुपये मात्र) की माँग करने लगे तथा प्रार्थी की बच्ची को गर्भपात की दवा खिलाकर जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया इन्ही सब प्रतिशोध को लेकर प्रार्थी की बच्ची मोना को गत 11.04.2025 को रात को फसी देकर मार डालने के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु.अ.सं. 31/2025 धारा 85/80(2)/89 बीएनएस व 3/4 DP Act** वादी मुकदमा साहब दूबे पुत्र स्व0 बाबूराम दूबे ग्राम – मोहिउद्दीनपुर थाना – जहानागंज तहसील – सदर जनपद – आजमगढ बनाम 1. पति रावेश पाठक पुत्र दयाशंकर पाठक 2.ससुर – दयाशंकर पुत्र अज्ञात 3.सास जयदेवी पाठक पत्नी दयाशंकर 4.जेठ पंकज पाठक पुत्र दयाशंकर .5.जेठानी सांची पाठक पत्नी अज्ञात ,6. देवर अंश पाठक पुत्र दयाशंकर पाठक निवसीगण ग्राम देवनाथपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय लालगंज के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण :-

दिनांक 13.04.2025 को **उ0नि0 आकाश कुमार** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त रावेश पाठक पुत्र दयाशंकर पाठक निवसी ग्राम देवनाथपुर पटखौली थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ उम्र 27** वर्ष जीयापुर मोड़ के पास से **समय करीब 14.00 बजे** हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।